संख्या : 1932/1–10–2011–रा–10

प्रेषक,

के0के0 सिन्हा,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,
बख्शी का तालाब,
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग–10
जुलाई, 2011

लखनऊ : दिनॉक : 07 जुलाई, 11

विषयः वित्तीय वर्ष 2011–12 में आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षण कार्यकमो हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति की बैठक दिनॉक 30.06.2011 में लिये गये निर्णय के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ द्वारा आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षण कायकमो के आयोजन हेतु **रू0 10,00,000/– (रूपये दस लाख मात्र)** की धनराशि इस निर्देश के साथ आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते कि उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या–42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये तथा व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकर कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

भवदीय,

(के0के0 सिन्हा)
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त

संख्याः– 1932 (1)/1–10–2011–रा–10, तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन।
2. महालेखाकार (लेखा)/(आडिट) प्रथम, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–5
6. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/समीक्षा अधिकारी, लेखा राजस्व अनुभाग–10/
 राजस्व अनुभाग–6/11/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

07/07/11

(राजेन्द्र प्रसाद)
अनु सचिव